न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	प्रह्लाद बनाम भूमिधारी तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र दि. 5/4/2016
05.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 05/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
54 / 2016	2016 / 0536	02.11.2016	05.07.2023

उनवान प्रकरण

1. प्रहलाद उम्र 47 साल
2. बाबूलाल उम्र 44 साल
3. हनुमान उम्र 40 साल

पुत्रगण रामेश्वर जाति माली निवासी ढाणी केरली तन् अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— प्रार्थीगण——

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—— अप्रार्थी——

उपस्थितः–

श्री गिरधारी लाल सैनी, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधि0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4300 हैक्टर तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा तन ग्राम अजीतगढ थे। जिसकी खातेदारी खातेदार सुणाराम पुत्र ईशराराम के नाम दर्ज थी। जिससे प्रार्थीगण के पिता रामेश्वर पुत्र मुरलीराम माली ने उक्त पुराना भूमि खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 8.5.1968 को विक्रय लेख उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्ध करवाकर खरीद कर प्रार्थीगण का पिता रामेश्वर उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्तकार होकर भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे हैं परन्तु उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 407 रकबा 1.4300 हैक्टर दर्ज किया गया हैं। जिसमें पुराने खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार रकबा 1.73 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से नवीन खसरा नम्बर 407 का रकबा 1.4300 हैक्टर ही दर्ज किया गया हैं। इसलिए न्यायहित में नवीन खसरा नम्बर 407 का रकबा 1.4300 हैक्टर के स्थान पर पुराने क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार रकबा 1.7300 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायोचित व आवश्यक है। मौके पर प्रार्थीगण आज भी अपनी भूमि खसरा नम्बर 407 के रकबा 1.7300 हैक्टर पर ही काबिज काश्त है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से हुयी हैं। जो अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत दुरूस्तनीय है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि नवीन खसरा नम्बर 407 का रकबा राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से कम कर दिये जाने से प्रार्थीगण को सख्त हकतलफी हैं। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का रकबा पुराने खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 407 का क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 407 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर का रकबा पुराने खसरा नम्बर 114 क्षैत्रफल 6 बीघा 18 बिस्वा तन् ग्राम अजीतगढ़ के अनुसार 1.4300 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.73 हैक्टर दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की सम्मन तामील जरिये साधारण तरीके से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई [illegible] में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच [illegible] श्रीमाधोपुर के जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पत्रांक 1726/भू0अ0/2018 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 407 (नया) व खसरा नम्बर 114 पुराने के नये व पुराने रिकार्ड की तुलनात्मक जॉच करवाई जाने पर ग्राम अजीतगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 1.43 हैक्टर बारानी–2 की खातेदारी प्रहलाद बाबूलाल हनुमान पुत्रगण रामेश्वर कौम माली सा0 देह ढ़ाणी कैरली तन् दिवराला खातेदार राहिन बी.आर. के.जी.बी.शाखा अजीतगढ़ मूर्तहीन दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम अजीतगढ़ के नवीन खसरा नम्बर 407 पुराने खसरा नम्बर 114 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा दर्ज होने तथा पुराने खसरा नम्बर 119 का रकबा नवीन रिकार्ड में 0.71 हैक्टर बढ़ा हुआ होने तथा खसरा नम्बर 114 पुराने व नवीन खसरा नम्बर 407 के नक्शे (पुराने व नये) में कोई अन्तर नहीं होने से ग्राम अजीतगढ़ के नवीन खसरा नम्बर 407 रकबा 1.43 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.73 हैक्टर दर्ज किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

हमनें वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2069–2072, 2023–2026, नजरी नक्शा ट्रेस राज सवाई जयपुर, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट पटवारी हल्का अजीतगढ़ व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनमें पटवारी हल्का अजीतगढ़ की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम अजीतगढ़ के कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 407 के रकबे में 0.30 हैक्टर की कमी आना तथा सिवायचक भूमि खसरा नम्बर पुराना 119 के नये खसरा नम्बर 468, 443, 461, 463, 462 में रकबा 0.71 हैक्टर भूमि नये भू प्रबन्ध से बढ़ोतरी होना तथा प्रार्थी का पुराना खसरा नम्बर 114 में भू प्रबन्ध से 0.30 हैक्टर की कमी आना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407 का रकबा 1.4300 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.7300 हैक्टर दर्ज किया जाना प्रकट होता है। उक्त कमी पूर्ति सिवायचक भूमि से ही होने से किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में भी कमी नहीं होना स्पष्ट होता है। अतः इस स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 407 का रकबा 1.43 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.73 हैक्टर शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:43:40 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के भूमि खसरा नम्बर 407 के रकबा 1.43 हैक्टर के स्थान पर रकबा 1.73 हैक्टर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

05/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर